कार्यालय– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(संरक्षण) मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक/संरक्षण/ 1928 भोपाल/दिनांक 5/11/03

प्रति,

समस्त वन मण्डलाधिकारी

(सामान्य एवं वन्य प्राणी)

मध्यप्रदेश

विषय:– भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक वर्ष 2002–2003 की रिपोर्ट (राजस्व) में सम्मिलित करने हेतु समीक्षा

महालेखाकार (लेखा परीक्षक) द्वितीय मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा इस कार्यालय एवं मध्यप्रदेश के 20 वनमण्डलों के कार्यालयों में वन अपराधों का लेखा परीक्षण किया गया तथा उनके द्वारा जो मुख्य आपत्तियाँ उठायी गई है उनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–

(1) समय पर महसूल मुआवजा वसूल नहीं होने के कारण राजस्व की हानि ।

(2) वन अपराध प्रकरणों की जांच एवं प्रशमन में 01 से 17 साल तक की देरी होने के परिणामस्वरूप 50 प्रतिशत से अधिक प्रकरणों का शेष रहना ।

(3) 86335 प्रकरणों के कालातीत होने के परिणामस्वरूप 3.06 करोड़ रूपये की राजस्व हानि ।

(4) जप्त शुदा वनोपज का समय पर निर्वतन नहीं होने के कारण जप्त शुदा वनोपज की गुणवत्ता में कमी आने के फलस्वरूप 3.75 करोड़ रूपये की हानि ।

(5) वर्ष 1997–2000 के बीच में 2.29 लाख अवैध कटाई के प्रकरणों का पंजीबद्ध किया जाना एवं 52.83 करोड़ रूपये की इमारती लकड़ी का जप्त होना ।

(6) [illegible] के अनुसार बीट निरीक्षण में 41 से 96 प्रतिशत कमी ।

(7) अवैध कटाई को रोकने में विभागीय नियंत्रण एवं मॉनिटरिंग की कमी ।

इस संबंध में दिनांक 20 अक्टूबर–2003 को संबंधित वन मण्डलाधिकारियों से चर्चा की गई एवं प्रतिवेदन चाहा गया था । चर्चा में यह पाया गया कि वनमण्डलाधिकारियों द्वारा ऊपर वर्णित सभी बिन्दुओं पर वास्तव में विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है । इस संबंध में समीक्षा के उपरान्त निम्नानुसार निर्देश पुनः जारी किये जाते हैं। यदि पूर्व में कोई निर्देश इन निर्देशों से विरोधाभास पैदा करता है तो उन निर्देशों को वर्तमान निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में संशोधित माना जावे :–

पी.ओ.आर. प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण अधिक से अधिक 07 माह में करना ।

(अ) बीट गार्ड द्वारा अपराध घटित होने के 48 घंटे के भीतर जानकारी परिक्षेत्र अधिकारी को भेजना तथा पी.ओ.आर. की एक प्रति बैरंग डाक से वनमण्डलाधिकारी को भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय । पी.ओ.आर. प्राप्त होने पर अधिकतम 15दिवस के भीतर परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा प्रकरण जांच हेतु सहायक परिक्षेत्र अधिकारी को दिया जायेगा।

(ब) सहायक परिक्षेत्र अधिकारी प्रकरण.प्राप्त होने के 02 माह के भीतर जांच कर प्रतिवेदन परिक्षेत्र में जमा करेगें ।

(स) सहायक परिक्षेत्र अधिकारी से जांच उपरांत प्रकरण प्राप्त होने के बाद परिक्षेत्र अधिकारी 15 दिन के भीतर प्रकरण उप वनमण्डलाधिकारी अथवा वन मण्डलाधिकारी को (जो प्रकरण को प्रशमन करने हेतु सक्षम हो) भेजेंगे ।

(द) उप वनमण्डलाधिकारी / वन मण्डलाधिकारी प्रकरण प्राप्त होने के 01 माह के भीतर प्रकरण को प्रशमन कर परिक्षेत्र अधिकारी को वापस भेजेगें ।

(थ) उप वनमण्डलाधिकारी /वन मण्डलाधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने के उपरांत परिक्षेत्र अधिकारी 02 माह की अवधि के भीतर महसूल एवं मुआवजा वसूली की कार्यवाही पूरी करेगें । यदि इस बीच में वसूली नहीं हुई तब प्रकरण को न्यायालय में चालान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

(त) वसूली होने पर प्रकरण अन्तिम आदेश हेतु उप वनमण्डलाधिकारी/ वन मण्डलाधिकारी को परिक्षेत्र अधिकारी 15 दिन के अन्दर भेजेगें ।

(ड) उप वनमण्डलाधिकारी/ वन मण्डलाधिकारी आगामी 15 दिनों में पी.ओ.आर. में अन्तिम आदेश पारित कर परिक्षेत्र अधिकारी को वापस करेगें ।

5 जिन प्रकरणों में अपराधी से वसूली नहीं होती उन प्रकरणों में न्यायालय में चालान किया जाना अनिवार्य है। ऐसे प्रकरणों की सूची परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा अलग से उप वनमण्डलाधिकाकरी के माध्यम से वनमण्डलाधिकारी को भेजी जावेगी । भारतीय वन अधिनियम , म0प्र0काष्ठ चिरान अधिनियम एवं तेन्दूपत्ता से संबंध अपराधों का चालान अपराध पंजीबद्ध होने के दिनांक से एक वर्ष के अन्दर किया जाना आवश्यक है।मध्यप्रदेश वनोपज विनियमन अधिनियम 1969 तथा वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 में न्यायालय में चालान प्रस्तुत करने हेतु अधिकतम समय सीमा 03 वर्ष तक है। परिक्षेत्र अधिकारी से ऐसे प्रकरणों की सूची प्राप्त होने पर वनमण्डलाधिकारी प्रत्येक

प्रकरण की समीक्षा स्वतः करेगें एवं चालान दायर करने से पूर्व यह संतुष्टि कर ली जावेगी कि प्रकरण में अपराध सिद्ध करने के लिये आवश्यक प्रमाण उपलब्ध हैं या नहीं।

(2) इस कार्यालय के पत्र कमांक/472 दिनांक 18-02-1999 द्वारा बीट निरीक्षण के समय नुकसानी की गणना के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किये गये थे । समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि इन निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है जो वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय एवं वन्यप्राणी) समीक्षा में नहीं बुलाये गये थे उनको इन निर्देशों की फोटो प्रति पुनः संलग्न कर भेजी जा रही है । इन निर्देशों का भविष्य में कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें । इन निर्देशों के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं :–

(अ) बीट निरीक्षण के समय बीट नुकसानी में पायी हानि गणना का पत्रक की पुस्तिकायें छपवाकर बीट गार्ड के पास उपलब्ध कराये जायें।

(ब) इस कार्यालय के पत्र कमांक/878 दिनांक 14–3–1995 के साथ संलग्न प्रपत्र का रजिस्टर भी प्रत्येक बीट गार्ड एवं परिक्षेत्र सहायक को उपलब्ध कराया जाये । परिक्षेत्र स्तर पर भी इसी पत्र में निर्धारित प्रपत्र अवश्य रखा जावे।

(स) कटे वृक्षों के ठूंठों की गोलाई का नाप जमीन की सतह से 30 से 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर की जाये।

(द) ठूंठों के समतल सतह पर वर्ष की गणना का ठूंठ कमांक एवं यदि कोई लकड़ी मिली हो तो प्राप्त टुकड़ों की संख्या अनिवार्य रूप से डाली जाये । ठूंठों पर अनुकमांक जनवरी से दिसम्बर तक (कलेण्डर वर्ष) लगातार रखी जाये । पी.ओ.आर. कमांक ठूंठों के बगल पर जमीन सतह पर छाल छीलकर पी.ओ.आर. कमांक अंकित किये जायें ।

(इ) बीट शुमारी के समय बीट हेमर / व्यक्तिगत हेमर अनिवार्य रूप से लगाया जाये ।

(त) ठूंठों पर पायी गई उपयोगी काष्ठ 01 सप्ताह के अन्दर बीट मुख्यालय पर अनिवार्य रूप से परिवहन कराया जाये । ठूंठों पर जप्त लकड़ी का निर्वतन यथाशीघ्र करवाने की व्यवस्था की जाये ।

(थ) बीट निरीक्षण के दौरान ठूठों की ड्रेसिंग का आदेश वनमण्डलाधिकारी द्वारा ही दिया जा सकता है ।

(3) परिक्षेत्र में पी.ओ.आर. प्राप्त होने के उपरांत वन अपराध प्रकरण को पंजी में 01 सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाये ।

(4) वन मण्डलाधिकारी प्रत्येक माह की पी.ओ.आर. प्रकरणों के संबंध में दिये गये निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में समीक्षा प्रति माह अनिवार्य रूप से करेगें एवं इस संबंध में प्रतिवेदन संबंधित वन संरक्षक को प्रेषित करेगें एवं वन संरक्षक प्रत्येक 03 माह में इन निर्देशों के पालन की समीक्षा अपने स्तर पर करेगें .प्रत्येक 06 माह में इस कार्यालय द्वारा भी इन निर्देशों के पालन की समीक्षा की जायेगी ।

(5) राजवाड़े समिति की अनुशंसा के अनुसार वर्ष 1989 से अभी तक प्रति वर्ष कितने-कितने प्रकरण समाप्त किये गये है इसकी जानकारी इस कार्यालय को 31 अक्टूबर--2003 तक अनिवार्य रूप से प्रेषित की जाये ।

(6) प्रत्येक बीट निरीक्षण करने वाले अधिकारी द्वारा बीट निरीक्षण से संबंधित प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्र कमांक 1293 दिनांक 29-8-2002 निर्धारित प्रपत्र में परिक्षेत्र कार्यालय में अनिवार्य रूप से रखा जाये। यदि यह प्रतिवेदन नस्ती में नहीं पाया जाता है तो बीट निरीक्षण किया हुआ नहीं माना जायेगा ।

(7) बीट निरीक्षण के दौरान एवं लकड़ी जप्ती के दौरान ठूठों का विवरण पी.ओ.आर. में लिया जाना अनिवार्य है ।

इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें ।

संलग्नः– 1.कार्यालयीन पत्र क 472 दि.18--2--1999

2. कार्यालयीन पत्र क 878 दि.14--3--1995

3. कार्यालयीन पत्र क 1293 दि.29--8--2002

(हस्ताक्षर) 5/11/03

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(संरक्षण)

मध्यप्रदेश भोपाल

पृष्ठांकन कमांक/संरक्षण/ 1929 भोपाल/दिनांक 5/11/03

प्रतिलिपिः–

समस्त वन संरक्षक/क्षेत्र संचालक , टाइगर प्रोजेक्ट मध्यप्रदेश की ओर मय सहपत्रों के आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(हस्ताक्षर) 5/11/03

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(संरक्षण)

मध्यप्रदेश भोपाल